आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
21.10.20	**अधिहरण वाद संख्या–25/2020–21** जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा बनाम सुधीर कुमार केशरी एवं अन्य **आदेश** यह वाद जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा के पत्रांक 1453/आ0 दिनांक–18.09.2020 द्वारा सरकारी चावल की कालाबजारी के नियत से ट्रक संख्या–CG15DM 4181पर लदे 360 (तीन सौ साठ) भरा बोरा लगभग 180.00 क्वींटल जप्त चावल को अधिहरण करने हेतु प्राप्त प्रतिवेदन पर प्रारम्भ किया गया है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में विपक्षी रितेश तिवारी, सुधीर कुमार केशरी, पवन कुमार केशरी एवं सुलेमान अख्तर को सूचना निर्गत किया गया। विपक्षीगण की ओर से दाखिल जवाब का अवलोकन किया। विपक्षी रितेश तिवारी की ओर से दाखिल जवाब में मुख्य रूप से कहना है कि अधिहरण वाद से इस विपक्षी को कोई वास्ता वो सरोकार नहीं है। साथ ही जवाब में उनका यह भी कहना है कि इस विपक्षी का अधिहरण वाद की जानकारी न्यायालय से नोटिस मिलने के पश्चात हुआ है एवं घटना में संलिप्त कोई माल या गाड़ी से मतलब नहीं है। विपक्षी उस दिन कोई गाड़ी पर न ही माल लोड करवाया है और न ही इसका कोई विल्टी ही दिया है। इस विपक्षी के फर्म श्री कमल ट्रांसपोर्ट के नाम से रजिस्टर्ड है। घटना तिथि को इस विपक्षी से कोई पक्षकार, दुकानदार या गाड़ीवाला माल भेजने के लिये या माल ढोने के लिये संपर्क नहीं किया है। जवाब में उनके द्वारा अधिहरण की कार्रवाई से मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। विपक्षी पवन कुमार केशरी की ओर से दाखिल जवाब में कहना है कि जप्त खाद्यान्न सरकारी नहीं है बल्कि विपक्षी की खरीदी की है। विपक्षी द्वारा खाद्यान्न को खरीदकर श्री बाला जी एग्रो इंडिया 2640/6 नया बाजार दिल्ली को भेजा जा रहा था जिसका इनभवाइस नं0–373 दिनांक–10.09.2020 है एवं ट्रक नं0– CG15DM 4181 से भेजा जा रहा था। उक्त चावल विपक्षी सुधीर कुमार के द्वारा मेसर्स माँ कुन्ती ट्रेडर्स के द्वारा मेसर्स आर0एम0 ट्रेडर्स गढ़वा से दिनेश कुमार गुप्ता से चावल खरीदा गया है। विपक्षी पवन कुमार केशरी का जवाब में यह भी कहना है कि सुधीर कुमार केशरी के नाम से मेसर्स आर0एम0 ट्रेडर्स फुड ग्रेन्स पैडी महुआ का लाइसेन्स है। दिनांक–10.09.2020 को ट्रक नं0– CG15DM 4181 से 360 बैग में 180.00 क्वींटल खुदरा ग्रामीणों से चावल लेकर बाला जी एग्रो इंडिया नया बाजार दिल्ली भेज रहे थे। जवाब में उनका कहना है कि जप्त ट्रक एवं चावल से कोई भी संबंध एवं सरोकार नहीं है। मैं खरीदा हुआ चावल के संबंध में मात्र जानता हूँ। विपक्षी सुधीर कुमार केशरी का जवाब में कहना है कि जप्त खाद्यान्न विपक्षी के खरीदीगी की है। विपक्षी के द्वारा खाद्यान्न को खरीदकर श्री बाला जी एग्रो इंडिया 2640/6 नया बाजार दिल्ली भेजा जा रहा था। जवाब में इनके द्वारा यह भी बताया गया कि प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा विपक्षी सुधीर केशरी का बयान दर्ज किया गया है जिसमें बताया गया है कि मेरे नाम से मेसर्स आर0एम0 ट्रेडर्स फूड ग्रेन्स पैडी महुआ का लाइसेन्स है। दिनांक–10.09.2020 को ट्रक नं0– CG15DM 4181 से 360 बैग में 180.00 क्वींटल खुदरा ग्रामीणों से चावल लेकर बाला जी एग्रो इंडिया नया बजार दिल्ली भेज रहे थे। जप्त समान विपक्षी का खरीदीगी है जिसे ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था जबकि गलत तरीके से बिना कागजात देखे जप्त किया गया है तथा राज्यसात करने के योग्य नहीं है। इसी प्रकार विपक्षी सुलेमान अख्तर की ओर से दाखिल जवाब में कहा गया है कि जप्त खाद्यान्न सरकारी नहीं है । तथाकथित जप्त खाद्यान्न विपक्षी सुधीर कुमार की खरीदीगी है। विपक्षी सुधीर कुमार के द्वारा मेसर्स माँ कुन्ती ट्रेडर्स के द्वारा मेसर्स आर0एम0 ट्रेडर्स गढ़वा से दिनेश कुमार गुप्ता से चावल खरीदा गया है। जवाब में उनका कहना है कि अपने ड्राइवर को उक्त ट्रक लेकर सुधीर कुमार केशरी के दुकान पर जाकर खुदी (बिल्कुल टुटा हुआ चावल) लोड करवाने को कहा एवं हिदायत दिया कि सभी कागजातों एवं तथ्यों की जाँच करके ही गाड़ी लोड करवाना। परन्तु ट्रक को बिना जाँच पड़ताल के ही जप्त कर लिया गया।	

जवाब में उनके द्वारा स्वयं को निर्दोष बताते हुए ट्रांसपोर्टर के विश्वास में आने की बात कही गयी है एवं राज्यसात की कार्रवाई को निरस्त करते हुए जप्त समानों को मुक्त करने हेतु अनुरोध किया गया है।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा जिनके प्रतिवेदन के आधार पर यह अधिहरण वाद संधारित है, को सुनने के साथ–साथ विपक्षीगण के विज्ञ अधिवक्ता को सुना एवं विपक्षीगण की ओर से दाखिल जवाब एवं जवाब के साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा द्वारा बताया गया कि जप्त चावल सरकारी है जिसे कालाबाजारी के नियत से ट्रक पर लादकर बाहर भेजने का प्रयास किया जा रहा था तथा जप्त चावल सरकारी आपूर्ति वाला बोरा में पाया गया है एवं चावल भी सरकारी आपूर्ति वाला ही है। इनके द्वारा जप्त चावल को अधिहरण करने हेतु अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा अपना–अपना तर्क दिया गया । विपक्षी रितेश तिवारी के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा मौखिक समर्पण किया गया कि जप्त चावल पर इस विपक्षी को कोई सरोकार नहीं है। इसी प्रकार विपक्षी पवन कुमार केशरी, सुधीर कुमार केशरी एवं सुलेमान अख्तर के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा मौखिक समर्पण किया गया कि जवाब में उल्लेखित तथ्यों को तर्क मानते हुए जप्त चावल को मुक्त किया जाय।

इस प्रकार जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा एवं विपक्षी के विज्ञ अधिवक्ता का प्रस्तुत कथन तथा विपक्षीगण की ओर से दाखिल जवाब में उल्लेखित तथ्यों के साथ–साथ सम्पूर्ण अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जप्त चावल सरकारी अर्थात् जन वितरण का है जिसे विपक्षीगण द्वारा कालाबाजारी के नियत से बाहर ले जाया जा रहा था। विपक्षी रितेश तिवारी एवं पवन कुमार केशरी की ओर से दाखिल जवाब के अनुसार जप्त चावल पर उन्हें कोई दावा नहीं है। चूकि जवाब में उनके द्वारा स्पष्टतः उल्लेख किया गया है, कि जप्त चावल से उन्हे कोई सरोकार नहीं है। जहाँ एक ओर विपक्षी रितेश तिवारी का जवाब में यह कहना है कि घटना के दिन कोई गाड़ी पर न तो माल लोड करवाया गया है और न ही कोई विल्टी दिया गया है वही दूसरी ओर विपक्षी पवन कुमार केशरी एवं सुधीर कुमार केशरी की ओर से कमल ट्रांसपोर्ट द्वारा दिनांक–10.09.2020 को पच्चीस टन Broken rice का निर्गत रसीद का छाया प्रति दाखिल किया गया है जो ग्राह्य प्रतीत होता है एवं विपक्षीगण का जवाब अपने आप में एक दूसरे का विरोधाभाषी है ।

फलतः उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों पर विचारोपरांत मैं इस निष्कर्ष पर आता हूँ कि गढ़वा थाना कांड संख्या–625/11.9.2020 में जप्त 360 (तीन सौ साठ) बोरा चावल वजन लगभग 180.00 (एक सौ अस्सी)क्वींटल सरकारी अर्थात जन वितरण का है जिसका अधिहरण किया जाता है एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, गढ़वा को आदेश दिया जाता है कि उक्त जप्त चावल का नियमानुसार खुला डाक कराकर प्राप्त राशि को जिला नजारत में एक सप्ताह के अंदर जमा करावें।

लेखापित एवं संशोधित

21/10/20

उपायुक्त–सह–
जिला दंडाधिकारी, गढ़वा।

21/10/20

उपायुक्त –सह–
जिला दंडाधिकारी, गढ़वा।